148
31/1/17

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक / प्रशा / 2 / राज / डी / 2017 / 81 भोपाल, दिनांक 19.01.2017

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय /
स्वशासी / शासकीय पोलीटेकनिक / महिला पोलीटेकनिक महा.,
मध्यप्रदेश।

विषयः–महाविद्यालयों में कैरियर संवर्धन योजना के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति हेतु।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के लिये कैरियर उन्नति योजना विनियम–2012 लागू किया गया है। तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टॉफ के लिये अर्हताए, वेतनमान, सेवा शर्तो, कैरियर उन्नति योजना इत्यादि से संबंधित कुछ मुद्दों / विसंगतियों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 04 जनवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में स्पष्टीकरण प्रकाशित किया गया है।

यह देखने मे आ रहा है कि कैरियर संवर्धना योजना के माध्यम से शिक्षकों की एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पदोन्नति हेतु संस्था के कुछ शिक्षक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम अकादिमक निष्पादन तथा स्क्रीनिंग / चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं कर पा रहे है।

अतः संस्था के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम अकादिमक निष्पादन तथा स्क्रीनिंग / चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा अभातशिप / केन्द्र / राज्यसरकार / टीईक्यूआईपी / सीआईआईएलपी / आईएसटीई / एनआईटीटीआर / आईआईटी / डीटीई / एसबीटीई / विश्वविद्यालय इत्यादि द्वारा अनुमोदित अथवा संचालित पुनश्चर्या / अनुसंधान पद्धति / अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित करें, तथा शिक्षकों के आवेदन करने पर उन्हें पुनश्चर्या / अनुसंधान पद्धति / अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त करें ताकि शिक्षकों की कैरियर सवर्धन योजना के अंतर्गत पदोन्नतियों का लाभ समय से मिल सके।

उपरोक्त आशय की जानकारी समस्त शिक्षकों के बीच प्रसारित करें।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / प्रशा / 2 / राज / डी / 2017 / 82 भोपाल, दिनांक 19.01.2017

प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौ.वि.वि., मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश